



OFFICE OF THE PRINCIPAL, GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE,  
BILASPUR (C.G.) 495 009

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495009

Phone: 07752-260289, Email:- [principalgecbilaspur@gmail.com](mailto:principalgecbilaspur@gmail.com) , Website:- [www.gecbasp.ac.in](http://www.gecbasp.ac.in)

कमांक/स्था-2/2025/ 185

/बिलासपुर, दिनांक 17/1/25

-: आ दे श :-

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर अंशकालीन व्याख्याता के तौर पर सम सेमेस्टर सत्र की समाप्ति तक के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी सेटअप के तहत संस्था में रिक्त पदों के विरुद्ध निम्न शर्तों के साथ अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है।

| क. | नाम                  | मोबाइल न.  | विभाग     | रिमार्क |
|----|----------------------|------------|-----------|---------|
| 01 | अपरूप मट्टाचार्या    | 8895500550 | यांत्रिकी |         |
| 02 | ऋषि कुमार शुक्ला     | 9009151042 | —''—      |         |
| 03 | जितेन्द्र कुमार साहू | 7828080782 | —''—      |         |
| 04 | नाथूलाल सिंगरौल      | 9165430067 | —''—      |         |

शर्तें:-

1. छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा, एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर, के पत्र कमांक/एफ 1-5/2022/तक.शि./42/नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02.12.2022 के परिपालन में पारिश्रमिक रूपये 800/- (रूपये आठ सौ मात्र) प्रति पीरियड, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 56100/- (रूपये छप्पन हजार एक सौ मात्र) प्रतिमाह देय होगी एवं शैक्षणिक अवधि तक उपस्थित रहना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त आदेश के पारिश्रमिक को छोड़कर शासकीय सेवा में नियमितकरण, वरिष्ठता, उच्च वेतनमान आदि किसी भी प्रकार की न तो मांग और न ही किसी भी न्यायालय में दावा पेश करेंगे
3. अंशकालीन व्याख्याता की सेवाएं आवश्यकता न होने की दशा में किसी भी समय अथवा अन्य आदेश जारी होने की स्थिति में स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
4. उपरोक्त आदेश की निर्गमन की तिथि से दस दिवस के अन्दर अपना पदभार ग्रहण न करने पर या लगातार सात दिवस अनुपस्थित रहने की दशा में आपकी सेवाएं स्वमेव समाप्त मानी जावेगी तथा प्रतिदिन दिन महाविद्यालयीन शिक्षण समय 10:30 बजे से 05:05 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। तथा संस्था में स्थापित फेस स्कैनर/बायोमैट्रिक मशीन में नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करेंगे।
5. अंशकालीन व्याख्याता अपना पारिश्रमिक देयक, माह के तीन तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा शाखा में जमा करेंगे।
6. शैक्षणिक तथा पाठ्येत्तर गतिविधियां, प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप संपादित करनी होगी।
7. शैक्षणिक तथा पाठ्येत्तर गतिविधियां, प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप संपादित करनी होगी।
8. आयुक्त-सह-सचिव, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़. के पत्र कमांक पी.ए./तक.शि./2015/708 दिनांक 11.12.2015 के संदर्भ में उपरोक्त आदेश की अवधि में किसी भी प्रकार का पूर्ण कालीन अध्ययन कर रहे अभ्यर्थी इस पद के लिए अपात्र होंगे, अतएव ऐसे अभ्यर्थी इस पद पर कार्यभार ग्रहण न करें।

//2//

6

